राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :प.5(3)नविवि/3/99पार्ट

जयपुर, दिनांक 9 MAR 2016

आदेश

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति 2015 के बिन्दु संख्या 2 में सार्वजनिक, सामाजिक धार्मिक एवं चेरीटेबल संस्थाओं, ट्रस्ट को रियायती दरों पर भूमि आवंटन का प्रावधान है। राज्य सरकार के निर्णयानुसार शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के बच्चों लिए के डे–केयर सेंटर की स्थापना को उक्त नीति के बिन्दु संख्या 2.9 (3) में सम्मिलित किया जाता है।

शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के बच्चों के डे–केयर सेंटर की स्थापना हेतु योग्य संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा 500 वर्गमीटर तक भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत दर पर आवंटित किया जाएगा।

अन्य शर्ते भूमि आवंटन नीति, 2015 के अनुसार होंगी।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 251600074 दिनांक 08.03.2016 के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव (प्रथम), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन/वित्त विभाग
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
9. सभी संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान।
10. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव नगरीय विकास विभाग को उक्त आदेश विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु मय अतिरिक्त प्रति के।
12. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर [illegible] राजधानी क्षेत्र)
13. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
14. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान [illegible]।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :प.5(3)नविवि/3/99पार्ट

जयपुर, दिनांक 9 MAR 2016

आदेश

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 के नियम 17 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए डे-केयर सेंटर की स्थापना हेतु 500 वर्गमीटर तक भूखण्डों पर भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी सभी प्रकार के प्रभार/शुल्क में एतद्द्वारा छूट दी जाती है।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 251600074 दिनांक 08.03.2016 के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से,

9/3/16

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव (प्रथम), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन/वित्त विभाग
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
9. सभी संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान।
10. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव नगरीय विकास विभाग को उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु मय अतिरिक्त प्रति के।
12. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)
13. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
14. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।

9/3/16

संयुक्त शासन सचिव द्वितीय